

पत्रांक 15/एम 1-189/2012 -1076

बिहार सरकार  
शिक्षा विभाग

प्रेषक,

सुनील कुमार सिंह,  
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

कुलसचिव,  
मगध विश्वविद्यालय, बोधगया।

पटना, दिनांक 10/6/2015

विषय:- कृषक महाविद्यालय, धेवधा, पकरीबरावा के संबंधन के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार कहना है कि उपरोक्त विषयक आपके पत्रांक 267/G III A दिनांक-15.10.08 व G III A/286/13 दिनांक 07.08.2013 के माध्यम से प्राप्त कृषक महाविद्यालय, धेवधा पकरीबरावा नवादा के संबंधन हेतु प्राप्त प्रस्ताव को समीक्षोपरान्त विभागीय पत्रांक 2372 दिनांक 31.12.2013 द्वारा अस्वीकृत किया गया था। पुनः समीक्षा के क्रम में पाया गया कि राज्य सचिवालय के पत्रांक 1098 दिनांक 19.04.86 के द्वारा निर्गत परिनियम में अंकित शर्त एवं वधेजों के अधीन विषयांकित महाविद्यालय में समाज शास्त्र, गृहविज्ञान, संस्कृत एवं मनोविज्ञान विषय में पुस्तकों की संख्या 500 से कम है। साथ ही विश्वविद्यालय के सुरक्षा कोष में 1,50,000/-राशि जमा है जबकि 2,50,000/- होना चाहिए।

अतएव उपरोक्त वर्णित विंदुओं पर वांछित शर्तों को संबंधित महाविद्यालय से पूरा करते हुए एक माह के अंदर प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध करायी जाए ताकि मामले में अग्रेत्तर निर्णय लिया जा सके।

विश्वासभाजन,

10/6/15  
(सुनील कुमार सिंह)  
सरकार के संयुक्त सचिव